न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–03/2013 दायर दिनांक: 04.01.2013
GCMS NO:- 2013/00062
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

सरदारा पुत्र धारू जाति मीणा निवासी ग्राम कालानलस तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादी–

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रंगलाल पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. जगदीश पुत्रभूरा जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. कंवरा उर्फ केसरा पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. शोजी पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. रामपाल पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी राजस्थान
8. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

निर्णय दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कालानला पटवार मण्डल मंरा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 730/54 रकबा 3 बीघा तथा खसरा संख्या 734/62 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादी के आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि वादी की भूमि तथा भूमि पर बने मकान पर जाने का एक मात्र रास्ता कालानला से बिस्तारी वाले आम रास्ते से खसरा संख्या 61 व 59 की मेर पर होते हुए पहुचता है। यह कि वादीगण ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादी को निकलने नही दिया तथा रास्ते को खाई लगाकर बन्द कर दिया। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रत्यार्थीण संख्या 5 लगायत 6 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र झूठें व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को तंग एवे परेशान करने के लिए पेश किया हैं। इसलिए वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। यह कि प्रतिवादीगण ने कोई रास्ता अवरूद्ध नही किया है। वादीगण खसरा संख्या 60 में होकर ही अपने खेतों पर आ जा रहे है। अतः वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम कालानला के खसरा संख्या 59 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में से 268 • 6.5= 1742 वर्गफीट, खसरा संख्या 60 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में से 435 • 6.5= 2828 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 61 रकबा 13 बीघा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (बून्दी)

534 • 6.5= 3471 वर्गफीट प्रस्तावित रास्ता दिया जाना है जिसे नक्शे में काली स्याही के बीच लाल स्याही से दर्जकिया गया है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में काली स्याही के बीच लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 8041 वर्गफीट अर्थात 09 बिस्वा भूमि है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट मरां में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। वादी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम कालानला पटवार मण्डल मंरा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 730/54 रकबा 3 बीघा तथा खसरा संख्या 734/62 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 59 रकबा 11 बीघा 14 में से 268 • 6.5= 1742 वर्गफीट, खसरा संख्या 60 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा में से 435 • 6.5= 2828 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 61 रकबा 13 बीघा में से 534 • 6.5= 3471 वर्गफीट कुल किता 3 कुल रकबा 8041 वर्गफीट क्षेत्रफल का, जिसे परिशिष्ट "क" में काली स्याही के बीच लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:55:35 IST
Reason: SelfAttested